कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
फोन नं. 0135-2608105 फैक्स नं. 2608108

संख्याः 2432/टी.आर./सत्रह-तीन/पंजीयन-अनुमोदन/2015 दिनांक 22 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति

विषयः सुरक्षा मानकों के लिए दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 के पहले निर्मित तीन पहिया ई-रिक्शा/ई-कार्ट का सत्यापन एवं पंजीयन हेतु प्रक्रिया

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (सोलहवां संशोधन) नियम, 2014 द्वारा पहली बार बैटरी चलित ई-रिक्शा को व्यवसायिक मोटरवाहन की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में सभी सम्बन्धितों को एतत्द्वारा सूचित किया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.नि.-2590(अ) दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 द्वारा ई-रिक्शा और ई-गाड़ी के सुरक्षा मानक निर्धारित किये गये जिन्हें दिनांक 08 अक्टूबर, 2014 से ही प्रवृत्त किया गया है। एवं तद्नुसार निर्मित ई-रिक्शा वाहनों का अनुमोदन व पंजीयन किया जायेगा।

परन्तु **दिनांक 08.10.2014 के पूर्व विक्रीत ई-रिक्शा/ई-कार्ट** के अनुमोदन/पंजीयन के विषय में विभिन्न अधिसूचनाओं में निम्नवत् व्यवस्था की गयी हैः-

1. रजिस्टर्ड ई-रिक्शा संघ द्वारा **दिनांक 08 अक्टूबर, 2014** से पूर्व विक्रीत ई-रिक्शा/ई-कार्ट के स्वामियों के नाम और विद्यमान मॉडलों की एक प्रमाणित सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध करायेगा।
2. रजिस्टर्ड ई-रिक्शा संघ प्रत्येक मॉडल से एक ई-रिक्शा/ई-कार्ट नमूना यान के रूप में चयनित करेगा। जो केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-126 में विनिर्दिष्ट किसी जांच एजेन्सी सत्यापन के अधीन होगा।
3. ई-रिक्शा संघ द्वारा इस प्रकार चयनित प्रत्येक ई-रिक्शा/ई-कार्ट मॉडल की जांच परिवहन विभाग द्वारा इस आशय से करायी जायेगी कि वह सूचीबद्ध ई-रिक्शा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते है और जांच रिपोर्ट के आधार पर वह वास्तव में विनिर्दिष्टों का अनुपालन करते है, जिसे देखते हुये उनका पंजीयन किया जा सकता है।
4. जांच एजेन्सी नमूना यान और अपेक्षित जांच फीस प्राप्त होने पर उक्त अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन ऐसे नमूना यान का परीक्षण कर अनुपालन रिपोर्ट जारी करेगा।
5. इसके आधार पर परिवहन विभाग उस मॉडल के ई-रिक्शा/ई-कार्ट को सत्यापन रिपोर्ट से तुलना करने के पश्चात् पंजीकृत करेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ.-1695(अ) दिनांक 25 जून, 2015 के अनुसार उसके प्रकाशन की तारीख से **31 दिसम्बर, 2015** तक उक्त प्रकार के यानों का किस्म अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् सात दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रपत्र-21 एवं प्रपत्र-22 के साथ यान के पंजीयन हेतु आवेदन किया जायेगा।

अतः समस्त ई-रिक्शा और ई-कार्ट के स्वामियों/रजिस्टर्ड संघ को सूचित किया जाता है कि दिनांक **08 अक्टूबर, 2014** से पहले से विद्यमान अपनी वाहनों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाईसेन्स, बिना परमिट, बिना बीमा, के उक्त वाहनों का संचालन अवैध है। इस प्रकार से अवैध संचालन के विरूद्ध प्रर्वतन की कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु सभी प्रर्वतन अधिकारियों एवं पुलिस विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है। **transport.uk.gov.in** पर 08.10.2014 और 25.06.2015 की अधिसूचना उपलब्ध है।

एस. रामास्वामी
परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड